[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 17/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "स्टील और फाइबर ग्लास के मैसूरिंग टेप्स और उनके पाट्र्स तथा घटक" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 9017 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 31/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जुलाई, 2015, जिसे सा.का.नि. 549(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019, जिसे दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020, जिसे 18 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(i) यदि इस शुल्क को खत्म कर दिया जाता है तो विषयगत देश से विषय विषयगत वस्तु की यहां भरमार होती रहेगी और भारत के बाजार में इसकी बहुत कम कीमत पर आयात होने की संभावना बनी रहेगी;
(ii) घरेलू उद्योगों के कारोबार में तो सुधार हुआ है लेकिन इस पर इस तरह की भरमार का प्रभाव पड़ने की संभावना है और परिणामस्वरूप इनको नुकसान हो सकता है;
(iii) दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चलता है कि यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इनके भरमार होने की स्थिति जारी रहेगी/या फिर से शुरू हो सकती है और इनसे नुकसान हो सकता है;
(iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि यदि इस अवसर पर एडीडी को समाप्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार की हो रही भरमार जारी रहेगी और घरेलू उद्योगों को फिर से नुकसान हो सकता है ।

और उन्होंने यहां के घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 31/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जुलाई, 2015, जिसे सा.का.नि. 549 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जिनकी विशिष्टता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित हैं पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	विशिष्टता	मूलतः उत्पादन का देश	नियार्तक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	स्टील टेप्स और उनके पाट्र्स या घटक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	1.83	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	स्टील टेप्स और उनके पाट्र्स या घटक	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1.83	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

3	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास टेप्स और उनके पार्ट्स या घटक	चीनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	2.56	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
4	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास टेप्स और उनके पार्ट्स या घटक	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीनवादी गणराज्य	कोई भी	2.56	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/102/2009 –टीआरयू (पार्ट-।।)]

(जे.एस. कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार